न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 19 / 2022 (राजसमन्द डिक्की)

1. मोडीराम पिता हांसा जी, जाति गुर्जन, निवासी भावा, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
2. गोपीलाल पिता हांसा जी, जाति गुर्जन, निवासी भावा, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
3. नारू पिता हांसा जी, जाति गुर्जन, निवासी भावा, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. पेमा पिता भज्जा जी, जाति गुर्जन, निवासी भावा, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
2. नारायणलाल पिता मोहन जी, जाति गुर्जन, निवासी भावा, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
3. बाबूलाल पिता मोहन जी, जाति गुर्जन, निवासी भावा, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्मामु पिता मोहन जी, जाति गुर्जन, निवासी भावा, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
5. मु. चन्द्री बेवा मोहन जी, जाति गुर्जन, निवासी भावा, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
6. भग्गा पिता उदा जी, जाति गुर्जन, निवासी भावा, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
7. हीरा पिता उदा जी, जाति गुर्जन, निवासी भावा, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्की उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द दि.
27–12–2020 प्रकरण संख्या 86 / 19

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:09:40 IST
Reason: SelfAttested

<u>उपस्थित</u> :– 1– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री एस.एल. लढ्ढा अभिभाषक रे.सं. 1, 6, 7

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 16–04–2025</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भावा में खाता संख्या 170 नया व 255 पुराना की आराजी नंबर 10 से 12 कुल किता 3 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि एवं खाता संख्या 169 नया व 256 पुराना की आराजी नंबर 869/10, 869/11, 869/6, 869/7 कुल किता 4 रकबा 44 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है। उक्त भूमि का अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा प्रतिवादीगण टालमटूल करते हैं। अतः विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 5 से 7 द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत कर राजस्व रेकार्ड में वर्णित हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का कथन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27–11–2020 को वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 5 से 7 ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–07–2022 को प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 6, 7 की ओर से अधिवक्ता श्री एस. एल. लढ्ढा उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के प्रार्थना के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वह राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां होने से न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी [illegible] कोविड–19 के कारण वह

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:09:40 IST
Reason: SelfAttested

अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सके। बाद में अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण की सहमति से डिक्री जारी की गयी है, जिसकी जानकारी उन्हें उसी दिन हो गयी थी, फिर भी करीब 1½ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है तथा जानकारी की दिनांक भी नहीं बतायी है। अतः अपील बेरून मयाद होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील मात्र इसी आधार पर खारिज फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय निर्णय व डिक्री दिनांक 27–11–2020 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–07–2022 को प्रस्तुत की गई है, जबकि अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 60 दिवस होकर अपील दिनांक 25–01–2021 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी। इस प्रकार अपील करीब 1½ वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है तथा अपने प्रार्थना पत्र में जानकारी की दिनांक भी अंकित नहीं की है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी सहमति से डिक्री जारी की गयी है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियां कायम कर तनकीवार विवेचन नहीं किया गया है न ही प्रकरण में साक्ष्य हुई है तथा एक अन्य केस में इसी दिनांक को प्रकरण निहित होने से सहवन से इस प्रकरण में सहमति के हस्ताक्षर कर दिये हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि प्रकरण में अपीलान्टगण की सहमति से डिक्री जारी की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है अतः अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:09:40 IST
Reason: SelfAttested

अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर AIR 1968 Supreme Court Page 534 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अन्य पक्षकारों के साथ तीनों अपीलान्टगण के सहमति के हस्ताक्षर हैं तथा सहमति की स्थिति में प्रकरण में तनकियां विरचित की जाना एवं तनकीवार विवेचन किया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति के आधार पर जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, वह प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री 27–11–2020 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 16–04–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:09:40 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत......**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**........मुकाम........**उदयपुर**.............
व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** ....

मोडीराम पिता हांसा जी, जाति गुर्जर, निवासी भावा, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द व अन्य बनाम **पेमा पिता भज्जा जी, जाति गुर्जर, निवासी भावा, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं....**19/2022**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**..............
......**राजसमन्द**....... मुकाम...............मुवर्खे.............**27**...........माह........**11**....................**2020**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**16**.....माह......**04**.......सन् **2025** रूबरू.......**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मुकेश तलेसरा** ....मिनजानिब अपीलान्ट व.........**श्री एस. एल. लढ्ढा**

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री 27–11–2020 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......).......रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का........................ **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**16**.........माह.........**04**.........**2025** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:09:40 IST
Reason: SelfAttested